विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सामान्य तथा सामाजिक सेवाएं क्षेत्रों के अंतर्गत विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करते हुए संघ सरकार के 37 सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 64 सिविल अनुदानों के अंतर्गत तथा राजस्व, रेलवे, रक्षा, दूरसंचार, इलैक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी और डाक मंत्रालयों/विभागों, को छोड़कर अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों/निगमों के वित्तीय संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं।

इन 37 सिविल मंत्रालयों/विभागों का सकल व्यय 2017-18 में ₹8,71,297 करोड़ से 0.47 प्रतिशत घटकर 2018-19 में ₹8,67,164 करोड़ हो गया। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कोडल प्रावधानों तथा लागू नियमों और विनियमों के गैर अनुपालन, परियोजना प्रबंधन में कमियों, खराब आंतरिक नियंत्रणों, वेतन और कार्मिक हकदारियों के निर्गम में अनियमतताएं तथा खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण देय राशियों की गैर वसूली अथवा गैर कर राजस्वों की हानि के साथ-साथ परिहार्य अथवा अतिरिक्त व्यय के मामलों को उजागर किया जाता रहा है। लेखापरीक्षा में मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में इसी प्रकार की अनियमितताएं पायी गई हैं जो इन तैयार किए गए पैराग्राफों पर आंतरिक नियंत्रणों तथा बजट प्रबंधन की मौजूद प्रणाली को आगे और मजबूत करने की आवश्यकता के साथ-साथ पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर तत्कालिक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का सूचक था। कुछ मामलों में, संबंधित मंत्रालय/विभाग ने उत्तर दिया है जिसे उपयुक्त खंडन के साथ उचित प्रकार से शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 13 मंत्रालयों/विभागों, विधायिका रहित पांच संघ शासित क्षेत्रों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकायों/निगमों को समाविष्ट करते हुए ऐसी अनियमिताओं के ₹274.26 करोड़ के 43 निदर्शी

मामलें[1] अंतर्विष्ट हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ मुख्य मामलों के श्रेणीवार सार निम्नलिखित है*:*

I. गैर कर राजस्व की हानि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने निविदा शर्तों के उल्लंघन में भुगतान की शर्तों में परिवर्तन करके एक निजी फर्म को अनुचित लाभ दिया, जिसका परिणाम ₹2.44 करोड़ के परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की कम वसूली में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 8.2)

संघ शासित क्षेत्र-चंण्डीगढ़ प्रशासन

मोटर वाहन विक्रेताओं को अस्थाई पंजीकरण संख्या निर्गत करने पर उनसे संशोधित दर के पंजीकरण शुल्क वसूलने में संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ का परिवहन विभाग विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.83 करोड़ की राशि का कम संग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ सं. 13.2)

II. वित्तीय प्रबंधन में कमियां

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय खाद्य निगम

भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान्न परिवहन की अभिप्रेत संचालन योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹35.96 करोड़ की राशि का रेलवे के रियायती माल भाड़े का लाभ नहीं लिया गया।

(पैराग्राफ सं. 4.1)

---

[1] मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणियों/प्रभावी वसूलियां के अंतर्गत पैरा 1.13 के अंतर्गत पांच मामले शामिल हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलुरू ने अपने कर्मचारियों के लिए हवाई टिकटों की खरीद मौजूदा आदेशों के तहत अधिकृत ट्रेवल एजेंटों के बजाय अन्य एजेंटो से की, जिससे ₹4.61 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 11.2)

विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने जून 2015 से फरवरी 2020 तक के दौरान पासपोर्ट आवेदनों को संसाधित करने हेतु सेवा प्रभारों के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण सेवा प्रदाता को पासपोर्ट सेवाओं हेतु ₹2.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(पैराग्राफ सं. 5.1)

भारतीय उच्च आयोग (मिशन) ने निजी पार्टी को यह प्राधिकृत करते हुए अनियमित रूप से शामिल कियाः (i) अपने निजी बैंक खाते में ₹78.41 लाख की सरकारी प्राप्तियों को प्राप्त करना एवं बनाए रखना और (ii) मिशन के अपने व्यय के लिए प्राप्तियों के बड़े हिस्से का वितरण करना।

(पैराग्राफ सं. 5.3)

भारतीय उच्चायोग, लंदन द्वारा भारत भवन, लंदन के तलघर के नवीनीकरण से संबंधित कार्य को विदेश मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना जीबीपी 744,971 (लगभग ₹6.63 करोड़) की लागत पर प्रारंभ किया गया। कार्य को आरंभ में एक अयोग्य कंपनी को एक अनियमित तथा चालाकीपूर्ण निविदा प्रक्रिया द्वारा सौंपा गया जोकि बाद में उसी कंपनी को निविदा के बिना अतिरिक्त कार्य सौंपने के फलस्वरूप इसे अनुचित लाभ दिया गया। इसके अलावा, अतिरिक्त कार्य को कपटपूर्ण संविदा दरों पर एक संबद्ध अयोग्य कंपनी को सौंपा गया, जोकि कार्य सौंपे जाने के तुरंत पूर्व निगमित हुई तथा भुगतान की प्राप्ति के पश्चात विघटित हो गई।

(पैराग्राफ सं. 5.4)

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मार्च 2015 में ₹1.27 करोड़ की सहायता अनुदान जारी किए जाने के बावजूद भी हिमालयी क्षेत्र खेलों का आयोजन करने तथा असम राज्य सरकार से ₹62.44 लाख के ब्याज सहित अप्रयुक्त सहायता अनुदान की वसूली करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ सं. 14.1)

III. योजना दिशानिर्देशों/अधिनियमों/नियमों तथा विनियमों की कमी/गैर अनुपालन

संघ शासित क्षेत्र-अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

एक हवाई क्षेत्र से 20 कि.मी. के घेरे के भीतर आने वाले कार्य स्थल, जहां ऊंचाई प्रतिबंध लागू थे, पर एक इमारत का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले, नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान संचालन की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली 2015, के अनुसार, अनिवार्य 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने में विफलता का परिणाम ₹39.17 लाख का अपव्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 13.1)

संघ शासित क्षेत्र-दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन (दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव प्रशासन)

जिला पंचायत (डीपी), सिलवासा ने बजट शीर्ष '2515' योजनागत जीआईए में प्रावधान के बिना तथा यूटी प्रशासन द्वारा निधि, कार्य तथा कार्यकर्ताओं की सुपुर्दगी के बिना फल वृक्षों के क्रय पर ₹ तीन करोड़ का व्यय किया। आगे, डीपी सिलवासा ने निविदा को स्वीकृत करते समय तथा फल वृक्षों की आपूर्ति एवं वितरण हेतु भुगतान करते समय भी आपूर्तिकर्ता का समर्थन किया।

(पैराग्राफ सं. 13.3)

IV. परियोजना प्रबंधन में कमी

विदेश मंत्रालय

नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा बीओक्यू दर में रॉयल्टी को अनियमित रूप से शामिल किए जाने के कारण एक ठेकेदार को ₹0.76 करोड़ का अनियमित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है।

(पैराग्राफ सं. 5.5)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी नई इमारत के निर्माण के लिए राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात को दिसंबर 2012 में ₹2.90 करोड़ जारी किए परंतु वह उसके उपयोग का अनुवीक्षण करने में विफल रहा। निर्माण अभी भी प्रारम्भ किया जाना है तथा निधियां सात वर्षों से अधिक समय के लिए अवरूद्ध रही हैं।

(पैराग्राफ सं. 10.2)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित आई.टी. अप्लीकेशन सिस्टम 'वन सीएसआईआर' में अनेक प्रक्रियाओं के गैर कार्यान्वयन के लिए अग्रणी कुछ मॉडयूलों की अनुपलब्धता और इनपुट नियंत्रणों एवं वैधता जांच की कमी के कारण इसकी पूर्ण क्षमता तक उपयोग नहीं किया जा सका जिसने डेटाबेस को अपूर्ण और अविश्वसनीय बनाया।

(पैराग्राफ सं. 11.1)

V. उपकरण/इमारतों/अवसंरचना का व्यर्थ रहना

परमाणु ऊर्जा विभाग

प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर ने दो विशेष प्रयोजन वाइंडिंग मशीनों की खरीद, उनकी स्थापना हेतु कार्य-स्थल की पहचान किए बिना की थी। सात वर्षों से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी मशीनों को स्थापित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.29 करोड़ का धन निष्क्रिय हो गया।

(पैराग्राफ सं. 3.1)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, मुंबई में प्रदत्त ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप (टीइएम) का परिणाम ₹2.36 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ क्योंकि माइक्रोस्कोप में खामियों को आपूर्तिकर्ता द्वारा सात वर्षों से अधिक समय के बीत जाने के पश्चात भी सुधारा नहीं गया था।

(पैराग्राफ सं. 2.2)

गृह मंत्रालय

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फॉरेंसिक साइंस संस्थान, नई दिल्ली ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक चेयर प्रोफेसर के पद को नहीं भर सका था जिससे उस पद के सृजन का उद्देश्य विफल हुआ जिसमे समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली समकालीन समस्याओं की जानकारी देनी थी तथा अपराध कटौती तथा शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु समाधान प्रदान करना था। चेयर को स्थापित करने के लिए कोर्पस के रूप में प्रदान की गई निधि ब्याज सहित कुल ₹4.28 करोड़ गैर उपयोगिता के कारण अवरूद्ध रही।

(पैराग्राफ सं. 7.1)

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन (यूटीएलए) ने परियोजनाओं के लिए वास्तविक आवश्यकता से काफी पहले तथा प्रारम्भिक कदम उठाए बिना कुल ₹1.15 करोड़ की निधियों को अनियमित रूप से जारी किया। वह इन निधियों के उपयोग के साथ साथ परियोजनाएं, जिनके लिए निधियां जारी की गई थी,

की प्रगति का भी अनुवीक्षण करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, कुल ₹1.15 करोड़ की निधियां अनुपयोगी रही तथा इसे एलपीडब्ल्यूडी के पास रखा जिसका परिणाम निधियों के दस वर्षों से अधिक समय के लिए निष्क्रिय रहने में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 13.5)

VI. आंतरिक नियंत्रण में कमियां

परमाणु ऊर्जा विभाग

मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार लाईसेंस शुल्क के गैर संशोधन और सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम द्वारा समाप्त हुए पट्टा करारों के गैर नवीनीकरण के परिणामस्वरूप, ₹3.75 करोड़ के पट्टा किराए की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ सं. 3.2)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत शामिल नहीं योजनाओं के संबंध में अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन के कारण से डीबीटी संव्यवहारों हेतु ₹3.26 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

(पैराग्राफ सं. 6.1)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)

आईआईटी-बी विक्रेता को आईआईटी-बी में एसएपी ईआरपी के कार्यान्वयन हेतु संचालन की विकेन्द्रित पद्धति की अपनी आवश्यकता को प्रभावी रूप से सूचित करनें में विफल रहा तथा विक्रेता द्वारा सुझाव दिए गए ईआरपी समाधान को एक स्पष्ट परिभाषा कि क्या परियोजना अपरिहार्य है, के बिना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जिससे अतिरिक्त लाइसेंसों की खरीद पर ₹1.29 का परिहार्य अधिक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 8.3)

दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन (दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रशासन)

डीएनएच ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड

ऑनलाइन भुगतान प्रसंस्करण सेवा प्रदाता द्वारा 36 दिनों से 241 दिनों की अवधि हेतु ₹94.19 करोड़ के प्रेषण में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹4.08 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 4.6)

जिला पंचायत (डीपी), सिलवासा ने एक आपूर्तिकर्ता को, बिना किसी आपूर्ति आदेश तथा आपूर्ति हेतु उच्च निविदा दरों के लिए किसी भी अनुमोदन के बिना तथा बजट के अंतर्गत निधियों के आबंटन के बिना, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु ₹1.98 करोड़ का भुगतान किया। विधिवत् अनुमोदनों तथा आबंटनों के अभाव में भुगतान करने के मानदण्डों को अनदेखा किया गया था तथा भुगतान को अन्य विभाग के अर्जित "ब्याज" से एक कर्ज के रूप में जारी किया गया था। इसका परिणाम ऐसे भुगतान में भी हुआ जो विभाग की अनुमोदित दरों से ₹18.23 लाख अधिक था।

(पैराग्राफ सं. 13.4)

VII. वेतन तथा कर्मचारी पात्रताओं में अनियमितताएं

परमाणु ऊर्जा विभाग

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर ने अपने कर्मचारियों को उच्च दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2015 से फरवरी 2020 तक की अवधि के दौरान ₹2.80 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.3)

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत सरकार के मौजूदा आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ते के रूप में ₹5.42 करोड़ का भुगतान किया।

(पैराग्राफ सं. 4.5)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)

13 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश के अभाव में अपने कर्मचारियों को *तदर्थ* बोनस के भुगतान किए जिसका परिणाम 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान कुल ₹6.08 करोड़ के अनियमित भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 8.1)

विदेश मंत्रालय

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के आठ सदस्य देशों द्वारा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) की स्थापना की गई थी। एसएयू अधिनियम के अंतर्गत, अध्यक्ष तथा अन्य़ संकाय सदस्यों को उनके वेतन के संबंध में कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी। 15 जनवरी 2009 को विदेश मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को कर छूट के योग्य बनाते हुए एक अधिसूचना जारी की जोकि एसएयू अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थी। कुलसचिव को आयकर में प्रदान की गई अनियमित छूट का परिणाम सरकारी राजकोष को ₹90.06 लाख की हानि के रूप में रहा।

(पैराग्राफ सं. 5.2)

VIII. स्वायत्त निकायों/विभागों/निगमों द्वारा परिहार्य भुगतान

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय की समय पर एक उपयुक्त आरक्षित कीमत निर्धारित करने में विफलता तथा जलयान *मत्स्य सुगंधी* की निपटान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब का परिणाम ₹1.14 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ। निपटान में विलम्ब जलयान के मूल्यह्रास होने के कारण मंत्रालय को जलयान की कम कीमत प्राप्त होने का कारण भी बना।

(पैराग्राफ सं. 2.1)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

भारतीय खाद्य निगम

प्रचालन अनिवार्यताओं के बावजूद तदर्थ प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप राज्य सरकार की एजेंसियों को अग्रेषित प्रभारों के प्रति पर ₹20.69 करोड़ का परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.2)